

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक: 20 सितम्बर, 2025

सहायक निर्वाची पदाधिकारियों का राज्य स्तरीय दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन

बिहार विधानसभा आम निर्वाचन, 2025 की तैयारियों के दृष्टिगत राज्य के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के सहायक निर्वाची पदाधिकारियों का राज्य स्तरीय दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शनिवार को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के सभागार में प्रारंभ हुआ।

प्रशिक्षण सत्र में प्रशिक्षकों के द्वारा बताया गया कि आगामी बिहार विधानसभा आम निर्वाचन, 2025 को पारदर्शी, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए सहायक निर्वाची पदाधिकारियों (ए.आर.ओ.) की भूमिका महत्वपूर्ण है। सहायक निर्वाची पदाधिकारी निर्वाचन प्रक्रिया, खासकर आदर्श आचार संहिता, एमसीएमसी जैसे मामलों में कानूनी पहलुओं सहित सभी तथ्यों का ध्यान से अध्ययन करें, ताकि निर्वाचन के दौरान किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।

प्रशिक्षण के पहले सत्र में राष्ट्रीय स्तर के मास्टर ट्रेनर (एन०एल०एम०टी०) श्री अशोक प्रियदर्शी ने नामांकन, संवीक्षा, अभ्यर्थिता वापसी, प्रतीक आवंटन तथा पोस्टल बैलेट की प्रक्रिया विषय पर विस्तार से जानकारी दी। साथ ही आपराधिक पूर्ववृत्त अभ्यर्थियों के संबंध में अपनाई जानेवाली प्रक्रिया के बारे में भी उन्होंने बताया कि नामांकन के 24 घंटे के अंदर अभ्यर्थियों से प्राप्त शपथ पत्र को बेवसाइट पर अपलोड करना आवश्यक है। श्री प्रियदर्शी ने कहा कि के०वाई०सी० (Know Your Candidate) ऐप के माध्यम से कोई भी नागरिक अपने अभ्यर्थियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है।

प्रशिक्षण के दूसरे सत्र में राष्ट्रीय स्तर के मास्टर ट्रेनर (एन०एल०एम०टी०) श्रीमती निवेदिता सिन्हा के द्वारा भेद्यता मानचित्रण, जिला निर्वाचन प्रबंधन योजना, निर्वाचक सूची, मतदान दल, मतदान दिवस की व्यवस्थाएं तथा मतदान केन्द्रों के बारे में बताया गया। राष्ट्रीय स्तर के मास्टर ट्रेनर (एन०एल०एम०टी०) श्री मनोज कुमार सिंह ने निर्वाचन व्यय की निगरानी के बारे में विस्तृत जानकारी दी।

श्री देवव्रत मिश्रा, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एवं श्री रत्नांबर निलय, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सहायक निर्वाची पदाधिकारियों को निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर अद्यतन निदेश से अवगत कराना तथा उन्हें व्यावहारिक रूप से सक्षम बनाना है, ताकि आगामी विधानसभा चुनाव को पूर्णतः निष्पक्ष एवं पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराया जा सके।
